घटनाक्रम

क्रम संख्या	तिथि	घटना
1	अगस्त 1999	वायुसेना मुख्यालय ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान हेतु हेलिकॉप्टरों की अनुरक्षण आवश्यकता तथा तकनीकी अपर्याप्तता के आधार पर छः प्राधिकृत वीआईपी हेलिकॉप्टरों का प्रतिस्थापन (विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए इन हेलिकॉप्टरों के 20 वर्षों का कुल तकनीकी जीवनकाल 'टीटीएल' वर्ष 2008 में समाप्त होनेवाला था) आठ हेलिकॉप्टरों से करने का प्रस्ताव किया।
2	अगस्त 2000	रक्षा मंत्री (आरएम) द्वारा प्रतिस्थापन के लिए (मूल्य ₹50 करोड़ के ऊपर) सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया।
3	अप्रैल 2001	भारतीय वायुसेना द्वारा अंतरिम परिचालन आवश्यकताओं की तुलना में एमआई-172 हेलिकॉप्टर का रूस में और ईसी-225 हेलिकॉप्टर का फ्रांस में उड़ान मूल्यांकन किया गया।
4	अगस्त 2001	अंतरिम परिचालन आवश्यकताओं का परिशोधन किया गया।
5	जनवरी/फरवरी 2002	प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी करने से पहले परिचालन आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया गया।
6	20 मार्च 2002	ग्यारह विक्रेताओं को वैश्विक प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया।
7	10 जून 2002	चार विक्रेताओं का, जिन्होंने प्रस्ताव हेतु अनुरोध पर प्रतिक्रिया की थी, तकनीकी प्रस्ताव खोला गया।
8	जुलाई 2002	तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने तीन हेलिकॉप्टरों, अर्थात् एमआई-172 (मेसर्स काज़न, रूस), ईसी-225 (मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस) , एवं ईएच-101 (एडब्ल्यू-101) को सूचीबद्ध किया।
9	नवंबर-दिसंबर 2002	एमआई-172 एवं ईसी-225 का उड़ान मूल्यांकन किया गया। ईएच-101 (एडब्ल्यू-101) का उड़न मूल्यांकन नहीं किया जा सका था, क्योंकि 6000 मीटर की ऊंचाई, जो एक अनिवार्य परिचालन आवश्यकता (ओआर) है, के लिए इस हेलिकॉप्टर को प्रमाणित नहीं किया गया था।

10	मई 2003	उड़ान मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। ईसी-225 को अधिग्रहण के लिए योग्य पाया गया।
11	नवंबर 2003	1.39 और 1.45 मीटरों के बीच रहनेवाली ईसी-225 की कैबिन ऊंचाई की पर्याप्तता पर प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने टिप्पणियां मांगीं।
12	दिसंबर 2003	प्रधान मंत्री कार्यालय ने अवलोकन किया कि अनिवार्य परिचालन आवश्यकताओं की संरचना परिणामतः अधिग्रहण को एकल विक्रेता वाली स्थिति की ओर ले गयी।
13	मार्च 2005	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने रक्षा मंत्रालय/वायुसेना मुख्यालय को प्रधान मंत्री कार्यालय के साथ परामर्श करके परिचालन आवश्यकताओं का परिशोधन करने तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध को पुनः जारी करने का निर्देश दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि परिचालन आवश्यकताएं व्यापक रूप से एमआई-8 के परिचालन विनिर्देशों के प्राचलों के अनुरूप होनी चाहिए और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुख-सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा, संचार एवं कैबिन विन्यास-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी संरचना की जानी चाहिए और एकल विक्रेता की स्थिति से बचे रहना चाहिए।
14	07 मार्च 2005	परिशोधित परिचालन आवश्यकताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ 4500 मीटर की अनिवार्य अधिकतम ऊंचाई सीमा और 1.8 मीटर की कैबिन ऊंचाई निर्दिष्ट की।
15	जनवरी 2006	रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा ₹793 करोड़ की लागत पर बारह हेलिकॉप्टरों से (08 वीआईपी के और 04 गैर - वीआईपी के संरूपण में) विद्यमान बेड़े का प्रतिस्थापन करने के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) इस आधार पर प्रदान की गयी कि अभी तक विशिष्ट व्यक्ति के लिए हेलिकॉप्टर के रूप में भारतीय वायुसेना से अतिरिक्त एमआई-8 हेलिकॉप्टरों का प्रयोग संभव था।
16	मार्च 2006	अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावित हेलिकॉप्टरों के परिमाण की रक्षा मंत्री द्वारा जांच की गयी।
17	27 सितंबर 2006	छः विक्रेताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया।
18	12 फरवरी 2007	प्राप्त हुई तीन बोलियों के तकनीकी प्रस्ताव खोले गए।
19	12 फरवरी 2007	तकनीकी प्रस्ताव खोला गया। तीन विक्रेताओं में से मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा ठुकराया

		गया, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विषय में अपेक्षित बयाना निक्षेप (ईएमडी) एवं सत्यनिष्ठा संधि प्रस्तुत नहीं की। तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की बैठक बुलायी गयी।
20	16 अगस्त 2007	तकनीकी मूल्यांकन समिति ने फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों (एफईटी)के लिए शेष दो विक्रेताओं मेसर्स सिकोर्स्की (एस-92) एवं मेसर्स एडब्ल्यू (एडब्ल्यू-101) की सिफारिश की।
21	16 जनवरी 2008 से 07 फरवरी 2008	इन हेलिकॉप्टरों का फील्ड मूल्यांकन परीक्षण यूके और यूएसए में किया गया।
22	अप्रैल 2008	फील्ड मूल्यांकन परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित स्टाफ मूल्यांकन ने एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टर के अधिष्ठापन की सिफारिश की।
23	01 मई 2008	संविदा वार्तालाप समिति का गठन किया गया।
24	02 सितंबर 2008	मेसर्स एडब्ल्यू का वाणिज्यिक प्रस्ताव खोला गया (प्रस्ताव मूल्य 592.032 मिलियन यूरो) ।
25	04 फरवरी 2009	संविदा वार्तालाप समिति ने बातचीत द्वारा तय मूल्य 556.262 मिलियन यूरो (₹3726.96 करोड़, ₹67 प्रति यूरो की दर से) पर संविदा करने की सिफारिश की, जिसमें टीसीएएस-II (यातायात भिडंत एवं बचाव प्रणाली) , ईजीपीडब्ल्यूएस (वर्धित भू सामीप्य पूर्वसूचना प्रणाली) तथा लाइफपोर्ट के अतिरिक्त उपस्कर के लिए 10.21 मिलियन यूरो शामिल है।
26	27 जनवरी 2010	मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
27	08 फरवरी 2010	रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 556.262 मिलियन यूरो (₹3726.96 करोड़, ₹67 प्रति यूरो की दर से) की कुल लागत पर 12 एडब्ल्यू 101 विशिष्ट व्यक्तियों/अविशिष्ट व्याक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु मेसर्स एडब्ल्यू के साथ एक संविदा की।
28	नवंबर 2012-फरवरी 2013	तीन हेलिकॉप्टरों का परिदान।